अनुस्मारक/अति महत्वपूर्ण

सं.ई-25013/2/2016-हिन्दी/175

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.) सेवा भवन,

आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.

दिनांक: 26 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अधिकारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-2020 के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का विवरण मंगवाने के संबंध में योजना।

उपर्युक्त विषय पर कृपया हिंदी अनुभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27 मई, 2020 (प्रति संलग्न) का संदर्भ लें जिसमें इस योजना में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों से अपना नामांकन दिनांक 15 जुलाई 2020 तक भिजवाने का अनुरोध किया गया था परंतु अभी तक नामांकन प्राप्त नहीं हुए हैं।

अत: जिन अधिकारियों ने वर्ष 2019-20 की हिंदी में डिक्टेशन देने की प्रोत्साहन योजना प्रतियोगिता में भाग लिया है, वे अपने द्वारा हिंदी में किए गए काम का ब्यौरा, संलग्न प्रपत्र में भरकर **दिनांक 28 अगस्त, 2020 तक हिंदी अनुभाग को अवश्य भिजवा दें। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

26/08/2020

उप निदेशक (रा.भा.)

बीपीएल: 3720

सेवा में,

1. के.ज.आयोग (मुख्यालय) में कार्यरत अवर सचिव तथा उससे उच्च स्तर के सभी अधिकारीगण।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
2. सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना तथा नदी प्रबंध), के.ज.आ.।
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
5. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।

Scanned with CamScanner

हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन संबंधी पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए कार्य संबंधी रिकार्ड का प्रोफार्मा

1. अधिकारी का नाम :

2. आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक का नाम:

क्र.सं.	दिनांक	डिक्टेशन लिए गए शब्दों की संख्या	फाइल संख्या	टिप्पणी

....

हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

सं.ई-25013/2/2016-हिन्दी/ 95 (क)

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.) सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
दिनांकः 27 मई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अधिकारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-2020 ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ की राजभाषा नीति एवं सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग, (मुख्यालय) में अधिकारियों के लिए राजभाषा विभाग की डिक्टेशन योजना लागू की गई है। संघ की राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन अधिकारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं जो साल में सबसे अधिक डिक्टेशन हिंदी में देते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 पुरस्कार, अर्थात् हिंदीभाषी एवं हिंदीत्तर भाषी अधिकारी के लिए रखे गए हैं । इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है जो सामान्यतया डिक्टेशन देते हैं, शामिल हो सकते हैं । यह योजना आयोग में लागू है ।

2. योजना की अवधि वित्तीय वर्ष (अर्थात् 01.04.2019 से 31.03.2020) रखी गई है । योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा हिंदी में दिए गए डिक्टेशन के बारे में निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार अपना रिकार्ड रखेंगे जिसमें डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम, डिक्टेशन की तिथि और डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का नाम अंकित होगा तथा दी गई डिक्टेशन की प्रतियां संबंधित फाइल क्रमांक के साथ रखी जाएंगी। यह रिकार्ड उनके स्टेनो, निजी सचिव भी रख सकते हैं । उनके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा ।

3. अत: वे अधिकारी जो वर्ष 2019-20 के दौरान उक्त योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं, अपने कार्य का विवरण 15 जुलाई, 2020 तक हिंदी अनुभाग को भेज दें ।

इन्द्रा ध्यानी
उप निदेशक (रा.भा.)
बीपीएल: 3720

Scanned with CamScanner

सेवा में,

1. सभी मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
2. सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
3. सभी निदेशक, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
4. सभी अवर सचिव/शाखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, के.ज.आयोग ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
2. सभी सदस्य, केंद्रीय जल आयोग के निजी सचिव ।
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग ।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग ।
5. उप निदेशक (एसएमडी) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाए ।

Scanned with CamScanner